



UPFD010054272023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

पीठासीन अधिकारी - विजय कुमार आजाद, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-0002153/2023

अमन पुत्र अरविन्द, निवासी-82, करबला, नई प्रीतम नगर, थाना दक्षिण, जिला
फिरोजाबाद।प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।विपक्षी।

प्रार्थी/अभियुक्त अमन की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या-259/2018, पी०एस०टी० संख्या-359/2018, धारा-376 डी, 342, 120 बी भा०द०सं० एवं धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम, थाना दक्षिण, जनपद फिरोजाबाद के मामले में प्रस्तुत किया है।

मैंने, प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री नील कमल एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री अजमोद सिंह चौहान तथा वादी राधेश्याम के निजी अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 27-03-2018 को शाम करीब 02:00 बजे वादी राधेश्याम की पुत्री कु० चांदनी, उम्र करीब 17 वर्ष मेला देखने की कहकर घर से गई थी। देर रात्रि तक जब वह घर वापस नहीं लौट कर आई, तब वादी व उसके परिजनों ने काफी तलाश की और रिश्तेदारियों में जाकर ढूढा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। तलाश करने के दौरान वादी को बृजेश, पप्पन राठौर, वीरी सिंह ने बताया कि उन्होंने चांदनी को कौशल, सचिन, श्रीमती उमा देवी, पिंगी, अमन व बृजेश, निवासी औरैया के साथ जाते देखा है। उक्त लोग वादी की पुत्री कु० चांदनी को बहला फुसला कर भगा ले गये हैं, जो उसकी पुत्री के साथ कुछ भी बुरा कर सकते हैं।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त को सह-अभियुक्त कौशल का दोस्त होने के नाते, पडोसियों के कहने व शक के आधार पर प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 02 दिन, 08 घण्टे विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई भी कारण नहीं दर्शाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा-363, 366 भा०द०सं० में दर्ज हुई थी, जिसका आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद पीड़िता कु०

चांदनी की बरामदगी हुई और पीड़िता के बयान धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० अंकित किए गये, जिसमें पीड़िता कु० चांदनी ने अभियुक्त का नाम नहीं लिया। पीड़िता के उक्त बयान के आधार पर दिनांक 24-10-2018 को उक्त धाराओं में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया था, परन्तु पुलिस ने गुड वर्क दिखाने हेतु मनमाने ढंग से धारा-376 डी, 342, 120 बी भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम की बढोत्तरी कर अभियुक्त के विरुद्ध पुनः आरोप पत्र प्रेषित कर दिया, जबकि पीड़िता के उक्त बयानों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। वादी मुकदमा द्वारा भी अपने बयानों में अभियुक्त के बारे में कोई अभिकथन नहीं किया गया है। अभियुक्त पूर्व में भी उक्त अपराध में करीब 7 माह जिला कारागार में निरुद्ध रहा है। अभियुक्त पुनः दाखिल आरोप पत्र में बढोत्तरी की गयी धाराओं में दिनांक 15-06-2023 से जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरुद्ध है। अभियुक्त गरीब, मजदूर व्यक्ति है तथा सब्जी का ठेला लगाकर अपने बुजुर्ग बीमार माता-पिता का पालन पोषण करता है। अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। अतः अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाये।

वादी राधेश्याम द्वारा निजी अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर शपथपत्र प्रस्तुत किया गया और कहा कि वह प्रस्तुत मामले का वादी है तथा पीड़िता कु० चांदनी का पिता है। उसने अपनी पुत्री कु० चांदनी को उक्त मामले के अभियुक्त अमन के साथ जाते नहीं देखा। उसकी पुत्री कु० चांदनी 6 माह बाद जब बरामद हुई, तो उसने बताया कि अमन द्वारा मेरे साथ किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की गयी है और ना ही अमन मेरे साथ था। उसकी पुत्री ने अपने बयान धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० में भी अमन के बारे में घटना से संबंधित कोई कथन नहीं किया है। उसने पड़ोसियों के कहने व शक के आधार पर अमन का नाम लिखा दिया था। उसको उक्त मामले में जमानत प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्तुत मामले में न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी के आदेश दिनांक 24-10-2018 से अभियुक्त अमन अन्तर्गत धारा-363, 366 भा०दं०सं० में जमानत पर था, परन्तु विवेचक ने न्यायालय में अभियुक्त अमन के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-363, 366, 376 डी, 342, 120 बी भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम में अन्य अभियुक्तगण सचिन, श्रीमती उमा देवी और पिकी के साथ दाखिल किया है, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 17-06-2019 को संज्ञान लिया जा चुका है। अभियुक्त अमन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में उपरोक्त आरोप-पत्र पर संज्ञान आदेश के विरुद्ध धारा-482 दं०प्र०सं० प्रार्थनापत्र संख्या-33484/2019 प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय ने दिनांक 16-09-2019 को आदेश पारित करते हुए अभियुक्त अमन के विरुद्ध उत्पीड़क कार्यवाही करने से निषेधित किया है। अभियुक्त द्वारा दाखिल नवीनतम आदेश दिनांक 31-10-2019 के अनुसार अन्तरिम आदेश, अग्रिम सुनवाई पर लागू रहेगा।

अभियुक्त के स्वयं के कथनानुसार उन्होंने उक्त आदेश की छायाप्रति दाखिल की है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 31-10-2019 अन्तिम

आदेश है, उसके बाद कोई नवीन आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित करते हुए पूर्व अन्तरिम आदेश को समर्थित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जाएगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था एशियन रीसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम सी०बी०आई० (2018) 16 एस०सी०सी० 299 में यह अवधारित किया गया है कि यदि 6 माह तक स्थगन प्रदान किए जाने वाले न्यायालय द्वारा कोई नवीन आदेश, उक्त स्थगन को जारी रखने की बावत नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश, 6 माह की अवधि के उपरान्त स्वतः अप्रभावी समझा जाएगा।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त अमन के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-363, 366, 376 डी, 342, 120 बी भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम में आरोप पत्र दाखिल किया गया है और पीड़िता के बयान धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० में अन्य अभियुक्तों का नाम लिया है, परन्तु अभियुक्त अमन का नाम उपरोक्त अपराध कारित करने में नहीं लिया है, लेकिन विवेचक द्वारा अभियुक्त अमन के विरुद्ध भी आरोप पत्र उपरोक्त धाराओं में न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है। न्यायालय में वादी राधेश्याम ने स्वयं उपस्थित होकर अपना शपथपत्र, मय आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुए कहा कि वह पीड़िता कु० चांदनी का पिता है। दिनांक 27-03-2018 को जब वह मेला देखनी घर से गयी थी और देर रात्रि तक घर वापस नहीं आयी तो शपथकर्ता ने कौशल, सचिन, श्रीमती उमा देवी, पिंकी, अमन, बृजेश के नाम मुकदमा दर्ज करा दिया। शपथकर्ता ने अपनी पुत्री कु० चांदनी को अभियुक्त अमन के साथ जाते हुए नहीं देखा। उसकी पुत्री कु० चांदनी जब 6 माह बाद बरामद हुई, तो उसने कहा कि अमन ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की और ना ही अमन उसके साथ था। शपथकर्ता ने पड़ोसियों के कहने व शक के आधार पर अमन का नाम लिखा दिया था।

चूंकि वादी राधेश्याम द्वारा उपरोक्त शपथपत्र, जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में दाखिल किया गया है और पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० में उपरोक्त गम्भीर अपराध जैसी घटना कारित करने के संबंध में अभियुक्त अमन के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया है। अभियुक्त के कथनानुसार वह दिनांक 15-06-2023 से जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरुद्ध है। उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों में, गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रहा किए जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अमन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-259/2018, पी०एस०टी० संख्या-359/2018, धारा-376 डी, 342, 120 बी भा०दं०सं० एवं धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम, थाना दक्षिण, जनपद फिरोजाबाद में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा रूपया 2,00,000/- (रूपये दो लाख) का स्वबन्धपत्र व समान धनराशि की दो जमानतें

दाखिल करने एवं निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करने की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर, बाद सत्यापन जमानत प्रपत्र अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

1. अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा , अनावश्यक रूप से कोई स्थगन नहीं देगा।
2. न्यायालय की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।
3. मामले से सम्बन्धित किसी भी गवाह को डरायेगा, धमकायेगा नहीं।
4. न्यायालय की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जायेगा।
5. न्यायालय में गवाह के उपस्थित होने पर अभियुक्त का कोई भी मौका प्रार्थनापत्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा और उसी दिन साक्षी से जिरह पूर्ण करेगा।

दिनांक 17-07-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

159/1

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।
पीठासीन अधिकारी - विजय कुमार आजाद, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-0004513/2022
C.N.R. No.-UPFD01-010652-2022

सूरज, उम्र 22 वर्ष, पुत्र गिरजा शंकर, निवासी मुरली नगर, थाना दक्षिण, जिला
फिरोजाबाद।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।

उत्तर प्रदेश सरकार।

बनाम

.....विपक्षी।

प्रार्थी/अभियुक्त सूरज की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र, मु०अ०सं०-320/2022, धारा-363, 366, 376 भा०द०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम, थाना दक्षिण, जनपद फिरोजाबाद के मामले में प्रस्तुत किया है। मैंने, प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा वादी के निजी अधिवक्ता को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना। पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी जितेन्द्र तोमर किराये पर रहता है। उसके घर के पास चूड़ी का कार्य होता है, वहाँ पर वादी की पुत्री कु० मुस्कान, उम्र करीब 16 वर्ष बेलन कार्य करती है। वहाँ पर सूरज पुत्र गिरजा शंकर चूड़ी का कार्य करता है। वादी की पुत्री को दिनांक 04-07-2022 को समय करीब 04:00 बजे सूरज बहला फुसला कर भगा ले गया है। इस घटना से पहले इससे झगडा भी हो गया था। वादी को सूरज धमकी देता था कि तुझे व तेरे परिवार को जान से मार दूँगे, मुस्कान को अपनी पत्नी बनाकर रखेंगे।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उसने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसे केवल वादी से कहा सुनी होने के कारण रंजिशन झूठा फंसा दिया है। प्रार्थी/अभियुक्त अपने माता पिता के साथ मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट करीब 24 घण्टे देरी से सोच समझ कर पंजीकृत करायी गयी है। पीड़िता, अभियुक्त से बरामद नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 01-10-2022 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाये।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं वादी के निजी अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 04-07-2022 को समय करीब 04:00 बजे प्रार्थी/अभियुक्त, वादी जितेन्द्र तोमर की पुत्री कु० मुस्कान, उम्र करीब

15/12

16 वर्ष को बहला फुसला कर भगा ले गया तथा जान से मारने की धमकी दी। उक्त सूचना पर थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद में सर्व प्रथम मामला धारा-363, 366, 506 भा०द०सं० के अन्तर्गत प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० में दिनांक 04-07-2022 को अपनी मर्जी से सूरज के साथ जाना और मन्दिर में शादी करके पति पत्नी की तरह रहना कहा है। धारा-164 दं०प्र०सं० के बयान में पीड़िता ने यह भी कहा है कि सूरज ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती व गलत काम नहीं किया है तथा मेरी अभी 18 वर्ष उम्र नहीं हुई है। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में छावती परिषद पूर्व मा० विद्यालय, सदर बाजार, आगरा के प्रधानाचार्य द्वारा जारी प्रमाण-पत्र केस डायरी के साथ संलग्न किया है, जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 08-09-2008 अंकित है, जिसके अनुसार घटना दिनांक 04-07-2022 को पीड़िता की आयु 13 वर्ष, 09 माह, 26 दिन होती है। इसके अतिरिक्त पीड़िता ने अपने बयान धारा-164 दं०प्र०सं० में भी अपनी उम्र 17 वर्ष बताई है और यह भी कहा है कि उसकी अभी 18 वर्ष उम्र नहीं हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी ने अपनी पुत्री की उम्र 16 वर्ष अंकित की है। इस प्रकार घटना दिनांक 04-07-2022 को पीड़िता नाबालिग थी। यद्यपि पीड़िता ने अभियुक्त के साथ मन्दिर में शादी करके पति पत्नी की तरह साथ रहने का बयान दिया है। लेकिन नाबालिग की सहमति का कोई अर्थ नहीं है जैसा कि धारा-375 भा०द०सं० के छठवे उद्घरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम की है तो उसकी सहमति अथवा उसकी बिना सहमति का कोई अर्थ नहीं है, अर्थात् वह बलात्कार का अपराध किया गया माना जायेगा। उक्त प्रपत्र एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर पीड़िता के नाबालिग होने के कारण दौरान विवेचना विवेचक द्वारा मामले में धारा-376 भा०द०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम की बढोत्तरी की गयी है। अभियुक्त द्वारा नाबालिग पीड़िता की मानसिक एवं शारीरिक रूप से अपरिपक्वता की मनोस्थिति का लाभ उठाते हुए उसके साथ जघन्य अपराध कारित किया गया है। मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त सूरज की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र, मु०अ०सं०-320/2022, धारा-363, 366, 376 भा०द०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम, थाना दक्षिण, जनपद फिरोजाबाद में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 15-12-2022

(विजय कुमार आजाद)

विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

अभियुक्त
महेश्वरी
मि. गणेश
दक्षिण
17-12-22



UPFD010038012023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।
पीठासीन अधिकारी - विजय कुमार आजाद, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-0001523/2023

सूरज पुत्र गिरजा शंकर, निवासी मुरली नगर, थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।
बनाम
उत्तर प्रदेश सरकार।विपक्षी।

प्रार्थी/अभियुक्त सूरज की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या-320/2022, धारा-506 भा०द०सं०, थाना दक्षिण, जनपद फिरोजाबाद के मामले में प्रस्तुत किया है।

मैंने, प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि उसकी जमानत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से दिनांक 05-04-2023 को अन्तर्गत धारा-363, 376 भा०द०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम में स्वीकृत हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत माननीय न्यायालय में दाखिल की गई थी, उस समय सहवन गलती से धारा-506 भा०द०सं० लिखने से रह गयी थी। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा-363, 366, 376 भा०द०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हो चुका है। प्रार्थी / अभियुक्त जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को धारा-506 भा०द०सं० में जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाये।

विपक्षी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा विरोध किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुख्य अपराध अन्तर्गत धारा-363, 366, 376 भा०द०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम में अभियुक्त की जमानत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से दिनांक 05-04-2023 को स्वीकृत हो चुकी है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-506 भा०द०सं० जमानतीय एवं मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। मामले के समस्त तथ्यों एवं

परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त सूरज की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-320/2022, धारा-506 भा०द०सं०, थाना दक्षिण, जनपद फिरोजाबाद में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) का स्वबन्धपत्र दाखिल करने पर अन्तर्गत धारा-506 भा०द०सं० में जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक 29-04-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।



UPFD010001572024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।
 पीठासीन अधिकारी - विजय कुमार आजाद, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
 जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-0000084/2024

योगेन्द्र उर्फ प्रदीप पुत्र श्री थान सिंह, निवासी कासिमपुर, थाना देहात कोतवाली
 एटा, जनपद एटा। ... प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।विपक्षी।

प्रार्थी/अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ प्रदीप की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र, पी०एस०टी० संख्या-301/2020, मु०अ०सं०-403/2019, अन्तर्गत धारा-363, 366, 376 भा०द०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम, थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद के मामले में प्रस्तुत किया है।

मैंने, प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार यादव, एडवोकेट एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री संजीव शर्मा को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त पूर्व में, मुकदमा उपरोक्त में जमानत पर था, मगर बुखार से पीड़ित होने के कारण माननीय न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ रहा, जिस कारण दिनांक 12-12-2023 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका और न अपने अधिवक्ता को समय से सूचित कर सका था। इस संबंध में चिकित्सक महोदय का पर्चा, जिला एटा का दाखिल किया है। अभियुक्त दिनांक 03-01-2024 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त जानबूझ कर अनुपस्थित नहीं रहा, मजबूरन अनुपस्थित था। अभियुक्त भविष्य में प्रत्येक नियत दिनांक को समय से न्यायालय में उपस्थित रहेगा। अतः अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाये।

वादी को नोटिस जारी किया गया, परन्तु उसकी तरफ से जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करने हेतु कोई उपस्थित नहीं आया।

विपक्षी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का सख्त विरोध किया गया और कहा कि अभियुक्त व उसके अधिवक्ता जानबूझ कर माननीय न्यायालय के समक्ष नियत दिनांकों पर उपस्थित

नहीं होते हैं। यहाँ तक कि माननीय न्यायालय के समक्ष साक्षी से जिरह भी नहीं करते हैं तथा पी०डब्लू० -1 लोकेन्द्र कुमार, पी०डब्लू०-2 पीड़िता एवं पी०डब्लू०-3 से०नि० उ०नि० सुरेश चन्द्र से क्रमशः दिनांक 01-01-2021, 17-11-2022 व 08-08-2023 को स्थगन देकर जिरह टाल दी गयी। पी०डब्लू०-4 डा० कृति गुप्ता से भी जिरह नहीं की गयी, तब माननीय न्यायालय द्वारा जिरह का अवसर समाप्त किया गया। उपरोक्त तथ्य व परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अभियुक्त की ओर से जानबूझ कर मुकदमे को लिंगर ऑन रखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में, न्यायहित में जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12-12-2023 से, अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ प्रदीप की अनुपस्थिति के आधार पर उसके विरुद्ध गैर जमानती अधिपत्र जारी करने के आदेश पारित किये गये थे। अभियुक्त योगेन्द्र पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28-02-2020 से जमानत पर था। अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ प्रदीप दिनांक 03-01-2024 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 24-01-2024 से थानाध्यक्ष टूण्डला एवं पेरोकार को, तथ्य के साक्षी बेबी और रघुवीर को न्यायालय में साक्ष्य हेतु तलब किया गया था, परन्तु उक्त साक्षी आज उपस्थित नहीं हैं। केवल साक्षीगण बेबी और रघुवीर की साक्ष्य न होने के कारण अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ प्रदीप को जेल में निरुद्ध रखना न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के लिए वादी लोकेन्द्र कुमार को कई बार सम्मन, नोटिस जारी किये गये हैं, परन्तु वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं और नगरपालिका परिषद्, टूण्डला की सभासद श्रीमती रजनी ने लैटर पैड पर यह लिखकर दिया है कि लोकेन्द्र कुमार नाम का व्यक्ति इस पते पर निवास नहीं कर रहा है। उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों में, गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना अभियुक्त को जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ प्रदीप की ओर से, पी०एस०टी० संख्या-301/2020, मु०अ०सं०-403/2019, अन्तर्गत धारा-363, 366, 376 भा०द०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम, थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा रूपया 1,50,000/- (रूपये एक लाख, पचास हजार) का स्वबन्धपत्र व समान धनराशि की दो जमानतें दाखिल करने पर, बाद सत्यापन जमानत प्रपत्र, अभियुक्त को निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करने की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर, पुनः जमानत पर रिहा किया जाये।

1. अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, अनावश्यक रूप से कोई स्थगन नहीं देगा।
2. न्यायालय की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

3. मामले से सम्बन्धित किसी भी गवाह को डरायेगा, धमकायेगा नहीं।
4. न्यायालय की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जायेगा।
5. अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ प्रदीप एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को आदेशित किया जाता है कि न्यायालय में गवाह के उपस्थित होने पर अभियुक्त का कोई भी मौका प्रार्थनापत्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा और उसी दिन साक्षी से जिरह पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। अभियुक्त योगेन्द्र के उपरोक्त आचरण को देखते हुए उसे कोई भी अवसर जिरह के लिए प्रदान नहीं किया जाएगा।

दिनांक 02-02-2024

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।



UPFD010105792023

**न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।**

पीठासीन अधिकारी – विजय कुमार आजाद, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-0004184/2023

शंकर पाल पुत्र श्री रामदास उर्फ टोडी, निवासी ग्राम चिलासनी, थाना रजावली,
जिला फिरोजाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।विपक्षी।

प्रार्थी/अभियुक्त शंकर पाल ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र, मु०अ०सं०-325/2023, धारा-376 भा०द०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम, थाना रजावली, जनपद फिरोजाबाद के मामले में प्रस्तुत किया है।

मैंने, प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री नाहर सिंह यादव, एडवोकेट एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री अजमोद सिंह चौहान तथा वादी रामदास पुत्र गंगा प्रसाद के निजी अधिवक्ता श्री बृजेश सिंह सिकरवार, एडवोकेट को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना। पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी रामदास कल दिनांक 06-11-2023 को अपनी पत्नी के साथ गमी में नगला बरी, जनपद फिरोजाबाद गया था। घर पर वादी की पुत्री कु० शालू, उम्र करीब 13-14 वर्ष अकेली थी। समय करीब 11:30 बजे रात्रि वादी की पुत्री को शंकर पाल पुत्र रामदास उर्फ टोडी, उम्र करीब 22 वर्ष बहला फुसला कर घर से ले गया। जब हम लोग घर वापस पहुंचे तो पुत्री ने बताया कि शंकर पाल ने उसके साथ रात में जबरन घर से बाहर बलात्कार किया था। मेरी बेटी परेशान है। अतः रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे प्रस्तुत प्रकरण में गाँव की पार्टीबन्दी व रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। वह पूर्णतः निर्दोष है। तहरीर में घटना का कोई स्थान अंकित नहीं है और ना ही कोई स्वतंत्र साक्षी दर्शाया है। पीड़िता के कोई चोट आना नहीं बताया गया है, इसलिए घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त, माननीय न्यायालय द्वारा दी

गयी जमानत का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा तथा माननीय न्यायालय के समक्ष नियत दिनांक पर उपस्थित रहेगा। अतः उसे जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाये।

विपक्षी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का सख्त विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

अभियुक्त शंकर पाल के ऊपर पीड़िता कु० शालू के साथ जबरन बलात्कार/प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किए जाने का आरोप है। पीड़िता ने बयान धारा-161 दं०प्र०सं० में कहा है कि दिनांक 06-11-2023 की रात करीब 12:00 बजे मैं घर पर सो रही थी, तभी मेरे गांव का शंकर मेरे घर आया और मुझे जबरदस्ती खींचकर एक खाली प्लाट पर ले गया और मेरे साथ गलत काम किया। घर पर मैं अकेली थी, मेरे मम्मी-पापा बाहर गये थे। घर पर मेरे चाचा, चाची थे, जो सो रहे थे। इसके बाद मैं वहाँ से करीब 01:30 बजे अकेले अपने घर आ गयी थी। पीड़िता ने अपने बयान धारा-161 दं०प्र०सं० का समर्थन बयान धारा-164 दं०प्र०सं० में करते हुए कहा कि मैं अपने घर पर सो रही थी। मेरे मम्मी-पापा घर पर नहीं थे। चाचा-चाची ऊपर कमरे में सो रहे थे। मेरे गांव का शंकर आकर मेरा गेट खटखटाने लगा। मैंने चाचा-चाची को नहीं उठाया। मैंने डर कर गेट खोल दिया, फिर वो मुझे खींच कर एक प्लाट पर लेकर गया। मैं लगातार चिल्ला रही थी, मगर किसी ने नहीं सुना। फिर उसने मेरे साथ गलत काम किया, मगर मुझे न तो कहीं चोट आई, ना ही मेरे कहीं खून निकला। फिर वो चला गया और मैं घर आ गयी।

चूंकि आज न्यायालय में वादी रामदास स्वयं उपस्थित है और उसके द्वारा अपने शपथपत्र के साथ अपने आधार कार्ड संख्या -596010556834 की छायाप्रति दाखिल की है और कहा है कि अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र पर उसको कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार पीड़िता कु० चंचल उर्फ शालू भी आज न्यायालय में उपस्थित है। कु० चंचल उर्फ शालू ने अपने शपथपत्र के साथ अपना आधार कार्ड सं०-566310604371 की छायाप्रति दाखिल की है और कहा कि उसने रात के अंधेरे में अभियुक्त को पहचान नहीं पाया था और गाँव के लोगों के कहने पर वादी ने रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। उसे अभियुक्त शंकर पाल से किसी प्रकार की शिकायत नहीं है और उसने मेरे साथ बलात्कार या अन्य कोई अपराध नहीं किया है।

अभियोजन द्वारा शंकर पाल के जमानत प्रार्थनापत्र पर औपचारिक आपत्ति की गयी है और यह कहा कि वादी एवं पीड़िता कु० चंचल उर्फ शालू दोनों ही न्यायालय में अपने-अपने शपथपत्र के साथ उपस्थित हैं और दोनों को अभियुक्त शंकर पाल के जमानत प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों में, गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना प्रार्थी /अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त शंकर पाल ओर से मु०अ०सं०-325/2023, धारा-376 भा०द०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम, थाना रजावली, जनपद फिरोजाबाद में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा रूपया 1,00,000/- (रूपये एक लाख) का स्वबन्धपत्र व समान धनराशि की दो जमानतें एवं निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करने की अण्डरटेकिंग, दाखिल करने पर, बाद सत्यापन जमानत प्रपत्र अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

1. अभियुक्त, विवेचना एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा तथा विवेचक द्वारा बुलाये जाने एवं प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
2. अभियुक्त विचारण के दौरान अनावश्यक रूप से कोई स्थगन नहीं देगा।
3. मामले से सम्बन्धित किसी भी गवाह को डरायेगा, धमकायेगा नहीं।
4. न्यायालय की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जायेगा।
5. न्यायालय में गवाह के उपस्थित होने पर अभियुक्त का कोई भी मौका प्रार्थनापत्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा और उसी दिन साक्षी से जिरह पूर्ण करेगा।

दिनांक 14-12-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।



UPFD010111072023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।
पीठासीन अधिकारी – विजय कुमार आजाद, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-0004384/2023

अंसार पुत्र गफ्फार, निवासी मौहल्ला करबला, थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

.....विपक्षी।

प्रार्थी/अभियुक्त अंसार की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र, पी०एस०टी० संख्या-963/2019, अपराध संख्या-876/2018, धारा-376, 363, 366, 506 भा०द०सं० एवं धारा-3/4 पोक्सो एक्ट, थाना दक्षिण, जनपद फिरोजाबाद के मामले में प्रस्तुत किया है।

मैंने, प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार धाकड़े एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त, माननीय न्यायालय से पूर्व में जमानत पर था। उसने जमानत का दुरुपयोग नहीं किया। अभियुक्त ने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है, बल्कि उसे झूठा फंसाया गया है। मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 02-12-2023 नियत थी, परन्तु अभियुक्त तबियत खराब होने के कारण माननीय न्यायालय उपस्थित नहीं आ सका था, अपने अधिवक्ता को सूचित किया था, अधिवक्ता ने हाजिरी मांफी प्रार्थनापत्र दिया था, जिस न्यायालय द्वारा खारिज कर अभियुक्त के विरुद्ध वारण्ट जारी कर दिये हैं। अभियुक्त ने अधिवक्ता के माध्यम से वारण्ट निरस्त हेतु दिनांक 06-12-2023 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय ने खारिज करते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया है। अभियुक्त ने जानबूझ कर माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की है, न कभी भविष्य में करेगा तथा प्रत्येक नियत दिनांक को माननीय न्यायालय में हाजिर आता रहेगा। अतः अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाये।

विपक्षी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का सख्त विरोध किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 02-12-2023 से, अभियुक्त की अनुपस्थिति के आधार पर उसके विरुद्ध गैर जमानती अधिपत्र जारी करने के आदेश पारित किये गये थे। अभियुक्त पूर्व में न्यायालय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04-02-2020 से जमानत पर था। अभियुक्त दिनांक 06-12-2023 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त वादी मुन्नालाल पर नोटिस की तामीला होने के बावजूद वादी की तरफ से जमानत का विरोध करने हेतु कोई उपस्थित नहीं है। उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों में, गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना अभियुक्त को जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त अंसार की ओर से, पी०एस०टी० संख्या-963/2019, अपराध संख्या-876/2018, धारा-376, 363, 366, 506 भा०द०सं० एवं धारा-3/4 पोक्सो एक्ट, थाना दक्षिण, जनपद फिरोजाबाद में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा रूपया 3,00,000/- (रूपये तीन लाख) का स्वबन्धपत्र व समान धनराशि की दो जमानतें दाखिल करने पर, बाद सत्यापन जमानत प्रपत्र अभियुक्त को निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करने की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर, पुनः जमानत पर रिहा किया जाये।

1. अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा , अनावश्यक रूप से कोई स्थगन नहीं देगा।
2. न्यायालय की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।
3. मामले से सम्बन्धित किसी भी गवाह को डरायेगा, धमकायेगा नहीं।
4. न्यायालय की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जायेगा।
5. न्यायालय में गवाह के उपस्थित होने पर अभियुक्त का कोई भी मौका प्रार्थनापत्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा और उसी दिन साक्षी से जिरह पूर्ण करेगा।

दिनांक 16-12-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।



UPFD010094532023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।
पीठासीन अधिकारी - विजय कुमार आजाद, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-0003818/2023

दिलीप कुमार, उम्र करीब 26 वर्ष, पुत्र श्री अंगद सिंह, निवासी नगला लोकमन,
थाना नसीरपुर, फिरोजाबाद।प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।विपक्षी।

प्रार्थी/अभियुक्त दिलीप कुमार की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मु०अ०सं०-08/2023, धारा-363, 366, 376 भा०द०सं० व धारा-3/4 पोक्सो एक्ट, थाना नसीरपुर, जिला फिरोजाबाद के मामले में प्रस्तुत किया है।

मैंने, प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री अब्दुल सलाम, एडवोकेट एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री अजमोद सिंह चौहान तथा वादिनी शीला देवी व पीड़िता खुशबू के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार, एडवोकेट को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादिनी शीला देवी की विवाहित पुत्री खुशबू पुत्र स्व० राधेश्याम, निवासी गढ़सान, दिनांक 10-01-2023 को घर से चली गयी है। हम लोगों ने काफी खोजबीन की, लेकिन मेरी पुत्री नहीं मिली। जानकारी प्राप्त हुई कि नगला लोकमन का रहने वाला दिलीप कुमार पुत्र श्री अंगद सिंह अपने साथ बहला फुसला कर मेरी पुत्री को ले गया है। घटना वाले दिन से दिलीप भी अपने घर से गायब है। मेरी लड़की घर से जेवरात व नगद पैसे भी लेकर गयी है। अतः रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त ने कोई आपराधिक कार्य नहीं किया है। उसे प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्ता द्वारा पीड़िता को बहलाया फुसलाया नहीं गया है। डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट अनुसार पीड़िता की आयु 19 वर्ष निर्धारित हुई है। इस कारण पीड़िता पूर्णतः बालिग है। पीड़िता ने अपने बयान धारा-161 व 164 द०प्र०सं० में अभियोजन कथन का समर्थन नहीं किया है तथा पीड़िता ने माननीय न्यायालय के समक्ष बयानों में, भविष्य में भी अभियुक्त के साथ रहने की इच्छा



Digitally signed by Vijay Kumar
Azad
Date: 2023.12.07 14:57:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions
Court

व्यक्त की है और वर्तमान में भी कथित पीड़िता अभियुक्त के साथ रह रही है। वादी पक्ष को भी अब मुकदमा चलाने में कोई रुचि नहीं है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 19-10-2023 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाये।

विपक्षी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

अभियुक्त दिलीप के ऊपर पीड़िता खुशबू को बहला फुसला कर उसके साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किए जाने का आरोप है। वादिनी शीला देवी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीड़िता खुशबू को पूर्व से विवाहित होना अंकित किया है और पीड़िता ने बयान धारा-161 दं०प्र०सं० में अपनी उम्र 19 वर्ष बताई है और कहा है कि मैं दिलीप को पसन्द करती हूँ। मेरे घर वालों ने मेरी शादी अजय के साथ दिनांक 16-12-2022 को कर दी थी, किन्तु मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं अपनी मर्जी से बिना बताए घर छोड़ कर चली गयी थी। दिलीप के विरुद्ध मुकदमा लिखाने पर मैं स्वयं थाने चलकर आई हूँ और दिलीप के साथ ही रहना चाहती हूँ। पीड़िता ने अपने बयान धारा-161 दं०प्र०सं० का समर्थन बयान धारा-164 दं०प्र०सं० में करते हुए कहा कि मैं दिलीप से प्रेम करती हूँ और 19 वर्ष की हूँ। मैं अपनी मर्जी से दिलीप के पास टेम्पो करके शिकोहाबाद, शिकोहाबाद से बस द्वारा आगरा और आगरा से ट्रेन द्वारा गुजरात चली गयी थी। मेरे साथ कोई गलत काम नहीं हुआ है। विवेचक ने पीड़िता का आयु की बावत एक्सरे दाखिल किया है, जिसमें पीड़िता की कोहनी, घुटना, कलाई की हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं और इलियक हड्डी आंशित जुड़ी है तथा हसली की हड्डी जुड़ी हुई नहीं है। उक्त आधार पर सी०एम०ओ०, फिरोजाबाद द्वारा गठित बोर्ड ने पीड़िता की आयु लगभग 19 वर्ष निर्धारित की है।

चूंकि आज न्यायालय में वादिनी शीला देवी स्वयं उपस्थित है और उनके द्वारा शपथपत्र के साथ अपनी आधार कार्ड संख्या -346576918800 की छायाप्रति दाखिल की है और कहा है कि खुशबू स्वेच्छा से दिलीप के साथ चली गयी थी। दिलीप ने उसको बहलाया फुसलाया नहीं है। उनकी पुत्री घटना के पूर्व से शादीशुदा थी और घटना के समय उसकी उम्र 19 वर्ष थी तथा वह आज भी दिलीप के साथ रह रही है और उन्हें जमानत दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार पीड़िता खुशबू भी आज न्यायालय में अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित, जिसने शपथपत्र के साथ अपना आधार कार्ड सं०-998095709547 की छायाप्रति दाखिल की है और कहा कि वह घटना के समय 19 वर्ष की थी और वह पहले से शादीशुदा है। दिलीप ने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती या गलत काम नहीं किया है। वह अपनी मर्जी से दिलीप के साथ गयी थी और वह पूर्णतः बालिग है। उसे, दिलीप को जमानत दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

अभियोजन द्वारा दिलीप के जमानत प्रार्थनापत्र पर औपचारिक आपत्ति की गयी है और यह कहा कि वादिनी एवं पीड़िता दोनों ही को अभियुक्त दिलीप के

जमानत प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति नहीं है और पीड़िता घटना के समय बालिग थी। उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों में, गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त दिलीप कुमार की ओर से मु०अ०सं०-08/2023, धारा-363, 366, 376 भा०द०सं० व धारा-3/4 पोक्सो एक्ट, थाना नसीरपुर, जिला फिरोजाबाद में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा रूपया 1,00,000/- (रूपये एक लाख) का स्वबन्धपत्र व समान धनराशि की दो जमानतें एवं निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करने की अण्डरटेकिंग, दाखिल करने पर, बाद सत्यापन जमानत प्रपत्र अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

1. अभियुक्त विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा तथा प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
2. अभियुक्त विचारण के दौरान अनावश्यक रूप से कोई स्थगन नहीं देगा।
3. मामले से सम्बन्धित किसी भी गवाह को डरायेगा, धमकायेगा नहीं।
4. न्यायालय की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जायेगा।
5. न्यायालय में गवाह के उपस्थित होने पर अभियुक्त का कोई भी मौका प्रार्थनापत्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा और उसी दिन साक्षी से जिरह पूर्ण करेगा।

दिनांक 06-12-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।



UPFD010056082023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।
पीठासीन अधिकारी - विजय कुमार आजाद, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-0002256/2023

जमील खाँ, उम्र 60 वर्ष, पुत्र श्री काले खाँ, निवासी ग्राम रपड़ी, थाना नसीरपुर,
जिला फिरोजाबाद।प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।विपक्षी।

प्रार्थी/अभियुक्त जमील खाँ की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र अपराध संख्या-53/2018, विशेष सत्र परीक्षण संख्या-1592/2018, धारा-147, 148, 323, 504, 506 भा०द०सं० एवं धारा-3(1)(द)(ध) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना नसीरपुर, जनपद फिरोजाबाद के मामले में प्रस्तुत किया है।

मैंने, प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा वादिया सुमित्र के निजी अधिवक्ता को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि उसे प्रस्तुत मामले में गांव की पार्टीबन्दी की रंजिश के कारण झूठा एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर साजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रस्तुत मामले में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से जमानत पर था। जमानत पर रिहा होने के पश्चात प्रार्थी/अभियुक्त नियत दिनाकों पर हाजिर होता रहा, लेकिन पूर्व अधिवक्ता द्वारा नियत दिनांक 31-05-2023 की कोई जानकारी न देने के कारण अभियुक्त उक्त दिनांक को न्यायालय में हाजिर नहीं आ सका और माननीय न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ गैर जमानती अधिपत्र जारी कर दिये। अग्रिम दिनांक 08-06-2023 को अभियुक्त ने माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर वारण्ट निरस्त कराने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया, तभी से जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरुद्ध है। अभियुक्त ने जानबूझ कर कोई गलती नहीं की है, गलती पूर्व अधिवक्ता द्वारा भूलवश की गयी है। अभियुक्त माननीय न्यायालय के समक्ष भविष्य में नियत दिनांक पर हाजिर रहेगा, कभी चूक नहीं करेगा। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाये।



Digitally signed by Vijay Kumar
Azad
Date: 2023.07.13 11:30:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions
Court

विपक्षी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं वादिया सुमित्रा के निजी अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के गैर हाजिर हो जाने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31-05-2023 को अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानती अधिपत्र व नोटिस जामिनान जारी करने का आदेश पारित किया गया था। अभियुक्त पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा फौजदारी प्रकीर्ण जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-16972/2018 में पारित आदेश दिनांक 07-05-2018 से जमानत पर था। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 08-06-2023 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पाने का अधिकारी है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त जमील खाँ की ओर से अपराध संख्या-53/2018, विशेष सत्र परीक्षण संख्या-1592/2018, धारा-147, 148, 323, 504, 506 भा०द०सं० एवं धारा-3(1)(द)(ध) एस०सी०/ एस०टी० एक्ट, थाना नसीरपुर, जनपद फिरोजाबाद में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा रूपया 50,000/- (रूपये पचास हजार) का स्वबन्धपत्र व इतनी ही धनराशि की दो जमानतें दाखिल करने पर, बाद सत्यापन जमानत प्रपत्र अभियुक्त को निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करने की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

1. अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा , अनावश्यक रूप से कोई स्थगन नहीं देगा।
2. न्यायालय की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।
3. मामले से सम्बन्धित किसी भी गवाह को डरायेगा, धमकायेगा नहीं।
4. न्यायालय की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जायेगा।
5. न्यायालय में गवाह के उपस्थित होने पर अभियुक्त का कोई भी मौका प्रार्थनापत्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा और उसी दिन साक्षी से जिरह पूर्ण करेगा।

दिनांक 11-07-2023

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।
उपस्थित - विजय कुमार आजाद, एच०जे०एस०
पी०एस०टी० संख्या-0001592/2018
सरकार बनाम आमीर आदि।

दिनांक 09-08-2023

पत्रावली पेश हुई पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण **आमीर, जमील खाँ, एजाद, धनुआ** एवं **आकिम** न्यायालय में मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। पत्रावली आरोप विरचन हेतु नियत है। आरोप विरचन के बिन्दु पर उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त **आमीर** के विरुद्ध धारा-354 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम एवं धारा-3(1)(द) व 3(1)(घ) एस०सी०/एस०टी० एक्ट तथा अभियुक्तगण **जमील खाँ, एजाद, धनुआ** एवं **आकिम** के विरुद्ध धारा-147, 148, 323/149, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा-3(1)(द) व 3(1)(घ) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया एवं विचारण की मांग की।

पत्रावली वादी साक्ष्य हेतु दिनांक 01-09-2023 को पेश हो। जरिए सम्मन अभियोजन साक्षी/वादी तलब हों।

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

Handwritten notes and signatures in blue ink on the left side of the page, including names like 'आमीर', 'जमील खाँ', 'एजाद', 'धनुआ', and 'आकिम'.

01/09/23